☎–0522–2286709
FAX- 0522-2286711
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र,10 अशोक मार्ग,लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांक3682/04/सात/2012/रि.यो./टीसी

दिनॉक 20 फरवरी, 2014

महत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः "प्रदेश के निजी स्वामित्व रिक्शा चालकों से उनकी मानव चालित रिक्शा लेकर उन्हें मोटर/बैटरी चालित अत्याधुनिक सिस्टम से निर्मित रिक्शा मुफ्त देने की योजना" के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 35/69–1–13–14(31)/2012 टीसी दिनॉक 24 जनवरी, 2013 के अनुसार चयनित पात्र लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने विषयक।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उपर्युक्त योजना के सम्बन्ध में इंगित शासनादेश के अनुसार प्रदेश के जिला नगरीय विकास अभिकरणों के स्तर से सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुरूप पात्र लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुये चयनित पात्र लाभार्थियों/अल्पसंख्यक लाभार्थियों की सूची राज्य नगरीय विकास अभिकरण को उपलब्ध करायी गयी है।

2– आप इस तथ्य से भी अवगत हैं कि, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1533/52–3–2013–सा(30)/13 दिनॉक 24.8.2013 के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों हेतु लक्ष्यों का मात्राकरण करने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना निर्देशित किया गया है। शासनादेश के अनुसार, **"प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यक वर्ग को विकास योजनाओं में उनका वाजिब हक दिलाये जाने के उददेश्य से उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यकों हेतु किये जाने का निर्णय लिया जाना" उल्लिखित करते हुये आवश्यक कार्यवाही किया जाना निर्देशित है।**

3– उक्त शासनादेश में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत राज्य नगरीय विकास अभिकरण के स्तर से संचालित की जा रहीं विभिन्न योजनाओं में **जिनमें रिक्शा योजना भी शामिल है**, हेतु इंगित शासनादेश का पालन किये जाने की अपेक्षा करते हुये योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के लिये भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का मात्राकरण किया जाना निर्देशित है।

4– उपरोक्त तारतम्य् में प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1596/69–1–13–14(31)/2012 टीसी II(बी) दिनॉक 23.9.2013 निर्गत करते हुये प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत निजी स्वामित्व पात्र लाभार्थियों को चयनित/लाभान्वित किये जाने हेतु अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पूर्वोक्त शासनादेश के अनुसार वांछित कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है।

आप अवगत हैं कि उक्त महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।

क्रमशः 2/

उपरोक्त संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जनपदीय डूडा कार्यालय के स्तर से अभिकरण को सूच्य चयनित पात्र लाभार्थी सूची के अनुरूप लाभार्थियों को इंगित योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश के अनुरूप अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को भी योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुये लाभान्वित किया जाये।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव/निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि

1 निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 सरकार को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ जनपदों के जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण को उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
3 परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।
4 सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

20/7/2021

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव/निदेशक